r`rh; v/;k;% okfudh ,o oU; thou ¼0;;½

3-1 dj i`'kklu

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनीक नियंत्रण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) वन विभाग का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय में आठ अपर प्र.मु.व.सं (अ. प्र.मु.व.सं.) एवं 16 मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) होते है। राज्य में वन क्षेत्र छह वृत्तों में विभाजित है एवं प्रत्येक वृत्त का मुखिया मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) होते है। इन वृत्तों को आगे वनमण्ड़लों में बांटा जाता है, जिसका प्रशासन वनमण्ड़लाधिकारी (व.म.अ.) करते है, जिसकी सहायता हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों में उपवनमण्ड़लाधिकारी (उ.व.म.अ.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी (प.अ.) होते है।

pkVZ 3-1% laxBukRed lajpuk

- प्रमुख सचिव, वन
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.)
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अ.प्र.मु.व.सं.)
- मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.)
- वन संरक्षक (व.सं.)
- वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.)
- उपवनमण्ड़लाधिकारी (उ.व.म.अ.)
- परिक्षेत्र अधिकारी (प.अ.)

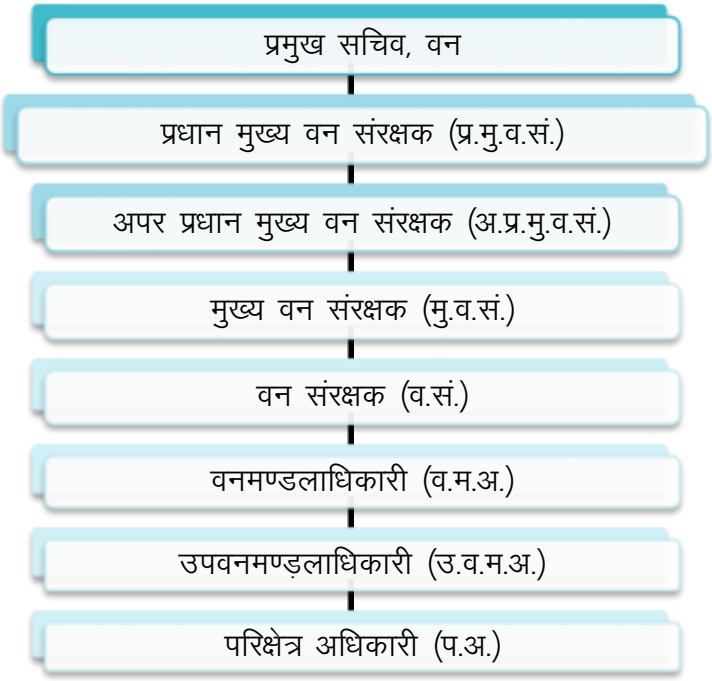

विभाग निम्न अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होता है।

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता;
- वनमंडल का कार्य आयोजना; एवं
- शासन/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश

3-2 y[kkijh{kk ifj.kke

हमने वर्ष 2015–16 में वन विभाग के कुल 60 कार्यालयों में से छः[1] कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की। हमने अनियमित, परिहार्य, अलाभकारी एवं अधिक व्यय इत्यादि से संबंधित अनियमितताओं के 144 प्रकरणों, जिसमें ₹ 25.22 करोड़ सन्निहित थे, को इंगित किया है, जो rkfydk 3-1 में निम्न श्रेणीयों में वर्णित है:

rkfydk 3-1% y[kkijh{kk ifj.kke

(₹ djksM+ esa)

l-Ø-	J.kh	izdj.kks dh la[;k	jkf'k
1.	NÙkhlx<+ esa jk"Vªh; ouhdj.k dk;Øe dk fØ;kUo;u	1	6-36
2.	अनियमित व्यय	71	14.19
3.	परिहार्य व्यय	23	1.53
4.	अलाभकारी व्यय	3	0.45
5.	अधिक व्यय	37	1.40
6.	अन्य अनियमितताए	9	1.29
;ksx		144	25-22

चार्ट 3.2: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण

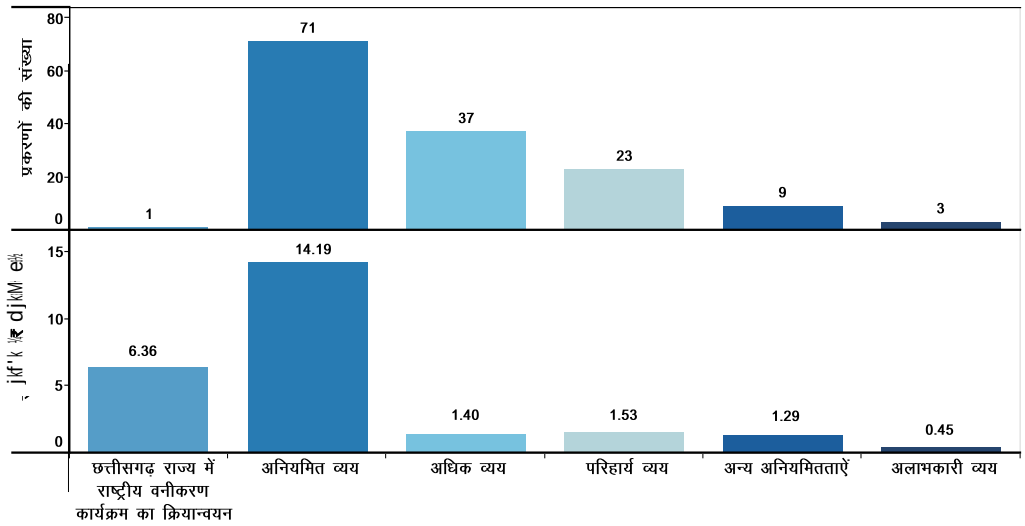

[1] व.म.अ., बस्तर; व.म.अ., धमतरी; व.म.अ., कटघोरा; व.म.अ., कोण्डागांव (दक्षिण); व.म.अ., मरवाही एवं व.म.अ., राजनांदगांव;

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 34 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 3.94 करोड़ सन्नहित है, को स्वीकार किया है।

NÙkh lx< esa jk"Vªh; ouhdj.k dk;Øe dk fØ;kUo;u पर लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 6.36 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सन्नहित है एवं कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें परिहार्य एवं अनियमित व्यय के ₹ 2.08 करोड़ सन्नहित है, को आगामी कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

3-3 **NÙkhlx<+ esa jk"Vªh; ouhdj.k dk;Øe dk fØ;kUo;u** ij ys[kkijh{kk

3-3-1 ifjp;

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (रा.व.का.), भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थिति विकास बोर्ड (रा.व.पा.वि.बो.) की योजना है। इस योजना का वित्त पोषण राज्य को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में किया जाता है। कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य वन संसाधनों के सतत् विकास के साथ वन वृक्ष क्षेत्रों का सुधार/विस्तार, बिगड़े वनों का सुधार एवं विकेंद्रीकृत/भागीदारी वन प्रबंधन को संस्थागत बनाना तथा जीविकोपार्जन के साधनों की उन्नति को पूरक के रूप में सहयोग करना है। रा.व.का. के अंतर्गत लिये जाने वाले प्रमुख वानिकी कार्य सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्र.पु.) (200 पौधे प्रति हेक्टेयर), कृत्रिम पुनरोत्पादन (कृ.पु.), (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर), बांस रोपण (बां.रो.), (625 पौधे प्रति हेक्टेयर), चरागाह विकास (400 पौधे प्रति हेक्टेयर), मिश्रित वृक्षारोपण (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर), जड़ी–बूटियों और झड़ियों का उत्थान (2000 पौधे प्रति हेक्टेयर) है। जागरूकता बढ़ाना, सूक्ष्म नियोजन, मृदा एवं नमी संरक्षण, बाड़ाबंदी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, उपरिव्यय एवं प्रवेश बिंदु कार्य (ई.पी.ए.)घटक जिनके लिए भारत सरकार द्वारा कार्य का वार्षिक योजना (का.व.यो.) में निधियों का आबंटन किया गया। यह देखा गया कि रा.व.वि.अ. द्वारा तैयार कर रा.व.पा.वि.बो. को प्रस्तुत किए गए का.व.यो. में कुल 11 गतिविधियों में से चार गतिविधियों[2] को शामिल किया गया (विस्तृत विवरण vuqyXud 3-1 में दर्शाया गया है)।

पुनरीक्षित क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (2009), के प्रावधानों के अनुसार रा.व.का. योजना का क्रियान्वयन त्रि–स्तरीय संस्थागत ढांचे द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (रा.व.वि.अ.), क्षेत्रिय वनमंडल के स्तर पर वन विकास अभिकरण (व.वि.अ.) एवं ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (सं.व.प्र.स.) है। उपरोक्त तीनों सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ में योजना का संस्थागत संरचना निम्नानुसार है:

pkVZ 3-3% jk-o-dk- ds fØ;kUo;u dk laLFkkxr lajpuk

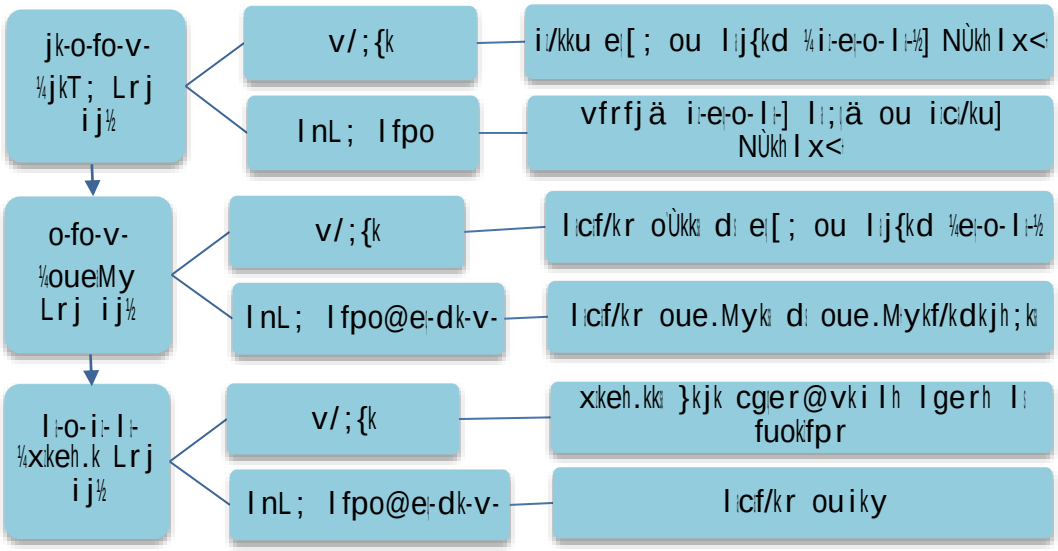

2 बिगड़े हुऐ क्षेत्रों का स.प्र.पु.; कृ.पु. एवं समृद्ध रोपण; प्रवेश बिंदु कार्य एवं सहभागीता सूक्ष्म योजना; परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निगरानी

3-3-2 ys[kkijh{kk ds mís';

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- योजना का वित्तीय प्रबंधन, योजना के दिशा–निर्देशों और समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था;
- निधि का उपयोग के अनुरूप मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता के साथ किया गया; एवं
- रा.व.का. के अंतर्गत सम्पन्न वानिकी कार्य मार्गदर्शिका और वनमंडल के कार्य आयोजना के प्रावधानों एवं शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप थे।

3-3-3 ys[kkijh{kk ekunaM

निम्नलिखित नियम, मार्गदर्शिका एवं लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में किया गया:

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका;
- क्षेत्रीय वनमंडलों का कार्य आयोजनाएं;
- वन वित्तीय नियम एवं छ.ग. शासन का भंडार क्रय नियम; एवं
- भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र/आदेश इत्यादि।

3-3-4 ys[kkijh{kk dk foLrkj vkSj fØ;kfof/k

छत्तीसगढ़ राज्य में 32 व.वि.अ. एवं 7,887 सं.व.प्र. समिति है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जनवरी 2016 से जून 2016 के मध्य सम्पन्न की गई जिसमें रा.व.वि.अ. एवं 12 व.वि.अ.[3] (38 प्रतिशत) का चयन सरल यादृच्छिक नमूना विधि से किया गया । वर्ष 2010–11 से 2014–15 के मध्य इन 12 चयनित व.वि.अ. ने रा.व.का. के अंतर्गत ₹ 56.88 करोड़ की राशि व्यय की। व.वि.अ. के अंतर्गत आने वाले 395 सं.व.प्र. समितियों में से 97 समितियों (24.56 प्रतिशत) के अभिलखों कि नमूना जांच भी की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों का परीक्षण, मांग पत्रों के द्वारा सूचनाओं का संग्रहण, संयुक्त भौतिक निरीक्षण आदि की क्रियाविधि अपनाई गयी। लेखापरीक्षा के विस्तार, उद्देश्य एवं क्रियाविधि की चर्चा प्रधान सचिव वन विभाग के साथ 13 अप्रैल 2016 को संपन्न अंर्तगमन सम्मेलन में किया गया था। बहिर्गमन सम्मेलन 24 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न हुआ जहां लेखापरीक्षा प्रेक्षणों और अनुशंसाऐं के ऊपर चर्चा हुई। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान एवं अन्य अवसरों पर प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में उचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

vfHkLohd`fr

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, वन विभाग द्वारा समन्वय एवं मांगी गयी जानकारी तथा अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने लेखापरीक्षा का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

[3] बलौदा बाजार, बलरामपुर, बस्तर, धमतरी, जशपुर, कटधोरा, कोण्डागांव (दक्षिण), कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, मारवाही एवं सूरजपुर

3-3-5 jk"Vªh; ouhdj.k dk;Øe ds vUrxZr fuf/k;ksa dh izkfIr ,oa 0;; fd fLFkfr

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, रा.व.पा.वि.बो. द्वारा संस्वीकृत निधि और रा.व.वि.अ. द्वारा किए गए व्यय कि स्थिति निम्नलिखित तालिका में विस्तृत की गयी है:

rkfydk 3-2% jk-o-ik-fo-ck- ls izkIr ,oa 0;; fuf/k;ksa fd izofÙk

¼₹ yk[k esa½

o"kZ	izkIr fuf/k	fiNys o"kZ fd cpr jkf'k	;ksx	fd;k x;k 0;;	'ks"k cpr ¼izfr'kr½
2010&11	3,255.13	476.30	3,731.43	3,668.14	63.29 (1.70)
2011&12	2,449.71	63.29	2,513.00	2,267.35	245.65 (9.77)
2012&13	1,333.13	245.65	1,578.78	1,516.81	61.97 (3.92)
2013&14	2,137.50	61.97	2,199.47	2,063.76	135.71 (6.17)
2014&15	2,000.00	135.71	2,135.71	1,953.96	181.75 (8.51)
;ksx	11]175-47	982-92	12]158-39	1]1470-02	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर)

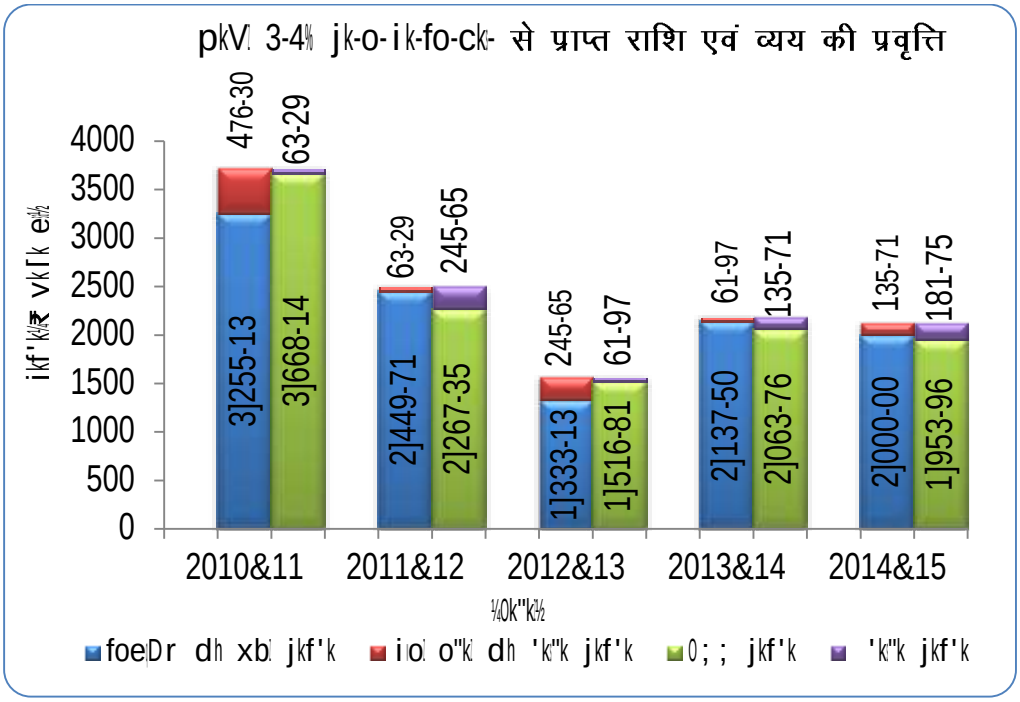

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान रा.व.का. के अंतर्गत जारी निधियों के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि विभाग ने सम्पूर्ण उपलब्ध राशि का व्यय नहीं किया एंव इन वर्षों मे बचत का प्रतिशत 1.70 से 9.77 के मध्य रहा।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने लेख किया (अक्टूबर 2016) कि द्वितीय एंव तृतीय किस्तों कि राशि रा.व.पा.वि.बो. से विलंब (जनवरी और फरवरी माह मे) से प्राप्त होने के कारण संस्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

y[kkijh{kk i{k.kk

3-3-6 l-o-i- lfefr;k fd l{e ;ktuk r;kj ugh fd;k tkukA

> 2010&11 l iwo] 3]502 l-o-i- lfefr;k fd l{e ;ktuk r;kj dj yh x;h FkhA 2010&11 l 2014&15 fd vof/k d nkjku 'k"k 4]385 e l flQ 376 l-o-i-lfefr;k dh l{e ;ktuk r;kj dh xbA

रा.व.का. कि पुनरीक्षित मार्गदर्शिका की कंडिका 4.3 के अनुसार, व.वि.अ. एवं सं.व.प्र. समिति के गठन के बाद प्रत्येक सं.व.प्र. समिति के लिए एक सूक्ष्म योजना व.वि.अ. द्वारा तैयार की जावेगी जो कि वन विकास एवं ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत होगी। सूक्ष्म–योजना का वन विकास का भाग वनमंडल की कार्य योजना पर आधारित होगा और ग्राम विकास का भाग जारी एवं संभावित कार्यो पर आधारित होगा जिन्हें रा.व.का. के अंतर्गत प्रवेश बिंदु कार्य के रूप में लिया जा सकता है।

रा.व.वि.अ. के का.वा.यो. के अनुसार वर्ष 2010–11 से पूर्व ही राज्य में 32 व.वि.अ. एवं 7,887 सं.व.प्र. समितियों का गठन किया जा चुका था। इनमें से 3,502 सं.व.प्र. समितियों का सूक्ष्म योजना 31 मार्च 2010 तक बना ली गयी थी। रा.व.वि.अ. द्वारा रा.व. पा.वि.बो. को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले का.वा.यो. के वर्ष 2010–11 एवं 2014–15 के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि, रा.व.पा.वि.बो. ने राशि ₹ 70.29 लाख सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए स्वीकृत की जिसके विरूद्ध ₹ 41.46 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 में प्रस्तुत का.वा.यो. के अनुसार, कुल शेष 4,385 सं.व.प्र. समितियों के विरूद्ध केवल 376 (9 प्रतिशत) सं.व.प्र. समितियों का सूक्ष्म योजना तैयार किया गया। आगे, कुल नमूना जांच की गयी 97 में से केवल 10 सं.व.प्र. समितियों ने लेखापरीक्षा के दौरान सूक्ष्म योजना अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया। सूक्ष्म योजना के अभाव में सं.व.प्र. समितियों के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के स्थिति के आधारभूत जानकारी और उसकी आवश्यकताएं अनिश्चेय रहीं। परिणामस्वरूप, सं.व.प्र. समिति क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु आवश्यकता आधारित वार्षिक कार्यक्रम का उचित नियोजन सार्थक नहीं होगा। सूक्ष्म योजना तैयार नहीं किये जाने के कारण अयोग्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण के उदाहरण पाये गए जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

लेखपरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) कि सं. व.प्र. समितियों कि सूक्ष्म योजना नहीं बनाई जा सकी क्योंकि इसके लिए पर्याप्त निधि प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सूक्ष्म योजना हेतु प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

'kklu dk ;g lfuf'pr djuk pkfg, fd tYn l tYn lHkh l-o-i- lfefr;k dk l{e ;ktuk r;kj gk vkj jk-o-dk- d xfrfof/k;k dk fØ;kUo;u lfu;kftr rjhd l gkA

3-3-7 foÙkh; izcU/ku

3-3-7-1 jk-o-ik-fo-ck- ls jk-o-fo-v- vkSj fQj o-fo-v- dks fuf/k;ksa ds gLrkarj.k esa foyac

> jk-o-fo-v- }kjk dk-ok-;ks- dh izLrqfr esa foyac ,oa jk-o-ik-fo-ck- ds }kjk dk-ok-;ks- ds lLohd`fr ckcr dks le;lhek fu/kkZfjr ugha gksus ds dkj.k fuf/k;ksa ds gLrkarj.k esa 37 ls 137 fnu dk foyac gqvkA vkxs] Lohd`r dk-ok-;ks- ds fo:) jk-o-fo-v- us 46 ls 133 fnu foyac ls fuf/k;k tkjh dh ftlds ifj.kkeLo:i o-fo-v- dks vfxze dk;Z ,oa o{kkjksi.k ds lekU; vof/k chr tkus ds ckn jkf'k izkIr gqbZA

रा.व.पा.वि.बो. ने रा.व.वि.अ. को निर्देश दिया कि (जुलाई 2010) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व का.वा.यो. प्रस्तुत कर दिया जाय। मार्गदर्शिका के अनुसार वृक्षारोपण क्रियाविधि कि अवधि से सामंजस्य हेतु का.वा.यो. की स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत पूर्व वर्ष के उपयोगिता प्रमाणपत्र और प्रगति प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना रा.व.पा.वि.बो. के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में समान्यतः 30 अप्रैल के पूर्व रा.व.वि.अ. को जारी कर दिया जाएगा। रा.व.पा.वि.बो. से राशि प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर रा.व.वि.अ. को राशि व.वि.अ. को हस्तांतरण करना आवश्यक था।

रा.व.वि.अ. के संस्वीकृति नस्तियों के नमूना जांच में, हमने रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. एवं रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक निधियों के हस्तांतरण कि स्थिति का अवलोकन किया जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में किया गया हैः

rkfydk 3-3½ jk-o-ik-fo-ck- ls jk-o-fo-v- ,oa jk-o-fo-v- ls o-fo-v- dks fuf/k;ksa ds gLrkarj.k esa foyac

o"kZ	jk-o-ik-fo-ck- dks jk-o-fo-v- }kjk dk-ok-;ks- izLrqr djus dh frfFk	jk-o-fo-v- dks jk-o-ik-fo-ck- }kjk iFke fd'r tkjh djus dh frfFk	jk-o-fo-v- dks jk-o-ik-fo-ck- ls iFke fd'r tkjh djus esa foyac blls/k esa ekxZnf'kZdk ds 30 vizSy ds iko/kku ds fo:) ¼fnu½	jk-o-fo-v- }kjk o-fo-v- dks iFke fd'r tkjh djus dh frfFk	o-fo-v- dks jk-o-fo-v- ls iFke fd'r tkjh djus esa foyac blls/k esa ekxZnf'kZdk esa 07 fnol ds iko/kku ds fo:) ¼fnu½
2010–11	(13–07–2010 के बाद)	19–08–2010	111	11–10–2010	46
2011–12	02–08–2011	14–09–2011	137	14–11–2011	54
2012–13	08–10–2012	28–06–2012	59	25–09–2012	82
2013–14	17–04–2013	06–06–2013	37	03–08–2013	51
2014–15	29–04–2015	25–06–2014	56	12–11–2014	133

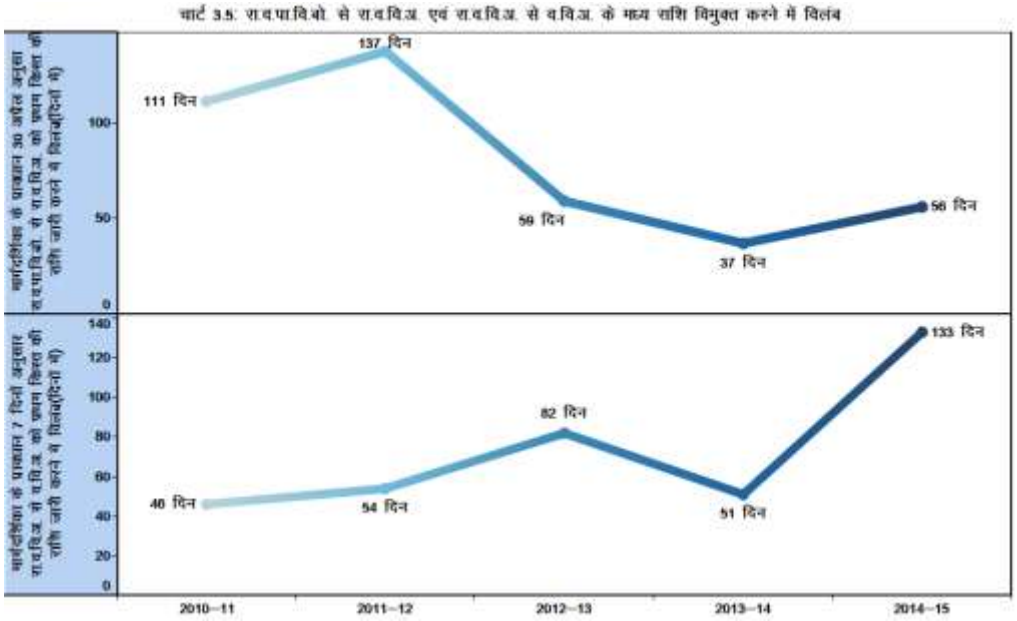

चार्ट 3.5: रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. एवं रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. के मध्य राशि विमुक्त करने में विलंब

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान रा.व.वि.अ. द्वारा दो से छः माह के विलंब से का.वा.यो. प्रस्तुत किया गया। जबकि, वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में का.वा.यो. समय से प्रस्तुत किया गया। आगे हमने अवलोकन किया कि का.वा.यो. स्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शिका/निर्देशों में रा.व.पा.वि.बो. को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थीं। रा.व.वि.अ. द्वारा रा.व.पा.वि.बो. को का.वा.यो. प्रस्तुत कने में विलंब (2010–11 से 2012–13) से एवं रा.व.पा.वि.बो. द्वारा का.वा.यो. संस्वीकृत करने हेतु मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देशों के अभाव के कारण प्रथम किश्त जारी करने में 37 से 137 दिनों का विलंब हुआ इस संबंध में मार्गदर्शिका में प्रावधानित 30 अप्रैल। आगे, रा.व.वि.अ. ने स्वीकृत का.वा.यो. के विरूद्ध 46 से 133 दिनों के विलंब से व.वि.अ. को राशि जारी की।

यद्यपि रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब में 2010–11 से 2012–13 में कमी आयी तथापि इसी अवधि में रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब में वृद्धि हुई। रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. स्तर में निधियों के हस्तांतरण में विलंब के परिणामस्वरूप व.वि.अ. को प्रथम किश्त की राशि अगस्त और नवम्बर माह के बीच (मानसून उपरांत) प्राप्त हुई जब सामान्यतः अग्रिम कार्य और वृक्षारोपण की अवधि बीत चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब शासन स्तर पर राशि हस्तांतरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के पालन के कारण हुई। उत्ता मान्य नहीं है क्योंकि निधियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। विभाग द्वारा व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में मार्गदर्शिका में प्रावधानित समय सीमा का पालन न किये जाने से विलंब हुआ।

3-3-7-2 o-fo-v- l l-o-i- lfefr;k dk fuf/k;k d gLrkrj.k e foyc

> o-fo-v- l l-o-i- lfefr;k dk fuf/k;k d gLrkrj.k gr ekxnf'kdk dk ikyu ugh fd;k x;k ftld ifj.kkeLo:i l-o-i- lfefr;k dk vxy foUkh; o"k e fuf/k;k ikIr gbA

मार्गदर्शिका के अनुसार, रा.व.वि.अ. से निधि प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर व.वि.अ. को 80 प्रतिशत राशि का.वा.यो. में प्रस्तावित कार्यो को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सं.व.प्र. समिति को हस्तांतरित करना था। जब सं.व.प्र. समिति द्वारा प्राप्त रकम का 50 प्रतिशत उपयोग कर लिया जाएगा, शेष 20 प्रतिशत रकम जारी कर देनी चाहिए।

12 नमूना जांच की गयी व.वि.अ. के आबंटन नस्तियों की जांच के दौरान, हमने पाया कि आठ व.वि.अ.[4] द्वारा निधियों के हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निधियों के हस्तांतरण में 10 माह तक का विलंब पाया गया। विलंब के परिणामस्वरूप सं.व.प्र. समितियों को निधियों की प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष में हुई, जिसका विवरण ifjf'k"V 3-2 में दर्शित है। साथ ही सं.व.प्र. समितियों को निधियों की प्राप्ति अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण की अवधि बीत जाने के बाद हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) व.वि.अ. को समय से निधि जारी करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

3-3-7-3 jk-o-dk- dh ekxnf'kdk dk mYya?ku djr g, ,d o-fo-v- l nljs e fuf/k;k dk gLrkrj.k

> ekxnf'kdk dk mYya?ku djr g, ,d o-fo-v- l nljs e fuf/k;k dk gLrkrj.k fcuk jk-o-ik-fo-cks- d iwo vuekfnu d fd;k x;kA dk-ok-;k- e 'kkfey fd, fcuk jk;ij e gMhØkÝV ,Eikfj;e fd LFkkiuk gr fuf/k;k dk gLrkrj.k gvkA

रा.व.का. के अंतर्गत व.वि.अ. को निधियों कि प्राप्ति रा.व.पा.वि.बो. द्वारा स्वीकृत का.वा.यो. में शामिल क्रियाविधियों के लिए हुई थी। मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप, आपवादिक परिस्थितियों और रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमति को छोड़कर एक व.वि.अ. /सं.व.प्र. समितियों से दूसरे व.वि.अ./सं.व.प्र. समितियों निधियों का व्यपवर्तन नहीं करना था। मार्गदर्शिका यह विहित करता है कि पूर्व वर्ष कि शेष राशि संबंधित व.वि.अ. को अगले साल के अनुदान में समायोजित किया जाएगा।

व.वि.अ. कि रोकड़ बही एवं नस्तियों कि नमूना जांच में, हमने एक व.वि.अ. से दूसरे व. वि.अ. में निधियों के व्यपवर्तन के निम्नलिखित प्रकरण पाये:

- व.वि.अ. धमतरी, कोड़ागाँव (दक्षिण) और बस्तर से राशि ₹ 24.75 लाख मार्च एवं मई 2011 में व.वि.अ. रायपुर को हस्तांतरित किया गया। रा.व.वि.अ. के मार्च एवं मई 2011 के आदेशानुसार, राशियों का हस्तांतरण हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम के लिए किया गया। जबकि, हैंडीक्राफ्ट एमपोरियम कि स्थापना और संचालन रा. व.वि.अ. के का.वा.यो. में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही राशियों के अंतर व.वि.अ. हस्तांतरण हेतु भी रा.व.वि.अ. ने रा.व.पा.वि.बो. से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

---

[4] बलरामपुर, बलौदा बाजार, बस्तर, धमतरी, कोंडागाँव (दक्षिण), कोरिया, कोरबा एवं सूरजपुर

- व.वि.अ. कोंडागाँव (दक्षिण), मरवाही एवं कोरबा ने व.वि.अ. से अपने अनुमोदित का.वा.यो. के कार्यो के व्यय हेतु अन्य व.वि.अ. से ₹ 64.08 लाख प्राप्त किया। इस अंतर व.वि.अ. हस्तांतरण के लिए रा.व.पा.वि.बो. से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

अतः निधियों का व्यपवर्तन का.वा.यो. में अनुमोदित गतिविधियों से अलग गतिविधियों में किया गया। व.वि.अ. के अनुमोदित का.वा.यो. में स्वीकृत निधियों का व्यपवर्तन बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन के दूसरे व.वि.अ. के कार्यों को पूरा करने कि लिए किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) निधियों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम की स्थापना के लिए किया गया। व.वि.अ. के ग्रामीणों द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्रियों को हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम के द्वारा बेचा जाता है, जैसा कि रा.व.का. में ग्रामीणों को रोजगार के साधन मुहैया कराने का प्रावधान है। उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन के निधियों का अन्तर व.वि.अ. हस्तांतरण क्यों किया गया। हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम कि स्थापना रा.व.वि.अ. के द्वारा सीधे संबंधित व.वि.अ. को राशि का आबंटन कर का.वा.यो. में प्रस्तावित करके भी किया जा सकता था, इसके बजाय की एक व.वि.अ. से दुसरे व.वि.अ. को राशि हस्तांतरण कर।

3-3-7-4 l-o-i- lfefr;ksa ds [kkrks esa jkf'k;ksa dk vuqi;ksxh iM+s jgukA

> lkr l-o-i- lfefr;ksa ds [kkrks esa jkf'k ₹ 1-10 djksM+ vuqi;ksxh :i ls iM+h jghA l-o-i- lfefr;ksa }kjk o-fo-v- dks le;c) foojf.k;ka tek djus ds vHkko esa ge ;g fuf'pr ugha dj ldrs fd ;g jkf'k fdu xfrfof/k;ksa ds fy, iklr gbZ Fkh vkSj O;; ugha djus ds D;k dkj.k FksA

सं.व.प्र. समितियों के पास बुक, रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि, तीन व.वि.अ. से संबंधित सात सं.व.प्र. समितियों में राशि ₹ 10 लाख से अधिक अनुपयोगी पड़ी रही जिसका विवरण तालिका में निम्नानुसार है:

rkfydk 3-4% l-o-i- lfefr;ksa ds [kkrs esa fuf"Ø; iM+h jkf'k;ksa dk fooj.k

l- Ø-	l-o-i- lfefr dk uke	o-fo-v- dk uke	vuqi;ksxh jkf'k		vfUre fudklh dh x;h jkf'k fd frfFk
			¼₹yk[k esa½	fnukad	
1	काईकछार	जशपुर	10.24	मई 2016	जुलाई 2014
2	कोरचीकानी	जशपुर	13.03	मई 2016	जुलाई 2014
3	अंगारटोली	जशपुर	16.31	मई 2016	जुलाइ 2014
4	पोटेडांड	कोरिया	10.52	मई 2016	दिसम्बर 2014
5	डूमरडीह	कोरबा	23.21	जून 2016	सितम्बर 2014
6	रजगामार	कोरबा	21.76	जून 2016	अप्रैल 2010
7	गोड़मा	कोरबा	14.62	जुलाई 2016	अप्रैल 2014
;ksx			109-69		

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से संबंधित राशि ₹ 1.10 करोड़ दो से छः साल तक उपरोक्त सं.व.प्र. समितियों के खातों में अनुपयोगी पड़ी रही। समयबद्ध विवरणियों और कार्यवार राशियों के विभाजन के अभाव में,

लेखापरीक्षा यह निश्चित नहीं कर सकता कि निधियाँ किस कार्य के लिए प्रदान की गयी थी एवं व्यय नहीं किए जाने के क्या कारण थे।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया की संबंधित वनमंडलाधिकारी को सं.व.प्र. समिति स्तर पर राशि व्यय नहीं किए जाने हेतु स्पष्टीकरण के लेख किया गया है। व्यय नहीं की गयी राशियों का समायोजन अगली का.वा.यो. में कर लिया जाएगा।

'kklu dk ekxnf'kdk d iko/kkuk d vu:i fuf/k;k d le;c) gLrkrj.k fd ifØ;kvk dk 0;ofLFkr cuku] fcuk jk-o-ik-fo-ck- d io vuekmu d vUrj o-fo-v- gLrkrj.k dk jkduk vkj l-o-i- lfefr;k d [kkrk e fuf/k;k d vufpr vojk/k dk jkduk lfuf'pr djuk pkfg,A

3-3-8 jk-o-dk- dh ekxnf'kdk dk mYy/ku djr g, 0;;

3-3-8-1 l-o-i- lfefr;k e mUur ck;k ekl pYg dh LFkkiuk

> **jkT; ou fodkl vfHkdj.k d lnL; lfpo u jk-o-ik-fo-ck- l io vuekmu fy, fcuk ;g vkn'k tkjh fd;k fd ouhdj.k dk;k d fy, dk-ok-;k- e vuekfnr dk;k d fy, ikIr jkf'k dk 0;ior u mUur ck;k&ekl pYg d fuek.k e dj fy;k tk;] tk fd okLro e ,d xyr dFku ij vk/kkfjr FkkA**

वन विकास अभिकरण बलौदा बाजार, बस्तर, धमतरी, कटधोरा, कोंडागाँव (दक्षिण) एवं कोरबा के आबंटन नस्तियों के समीक्षा के दौरान हमने पाया कि, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के अनुसार, मृदा नमी संरक्षण, सूक्ष्म योजना, जागरूकता, बाड़ाबंदी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा उपरिव्यय के लिए वृक्षारोपण व्यय के एक प्रतिशत के रूप में ₹ 121.02 लाख 2010–11 में प्रदान किए गए थे।

सदस्य सचिव, राज्य वन विकास अभिकरण ने मार्च 2011 में निर्देशित किया कि, चूंकि 2010–11 के लिए कोई नया वृक्षारोपण कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है, इसीलिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को छोड़कर अन्य मदों में प्राप्त आबंटन का कोई उपयोग नहीं है। अतः अन्य मदों में प्राप्त आबंटन का उपयोग संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा उन्नत बायो–मास चूल्हे के निर्माण में किया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्देश के साथ वन विकास अभिकरणों एवं उनमें स्थापित किए जाने वाले चूल्हे कि संख्या कि सूची संलग्न थी। जबकि, हमने पाया कि 12 वन विकास अभिकरणों में से छः अभिकरणों में उन्नत बायो मास चूल्हे खरीदे एवं स्थापित किए गए और ₹ 83.98 लाख[5] का व्यय किया गया। आगे कि जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 में का.वा.यो. में, जैसा कि रा.व.प. वि.ब. से अनुमोदित था, में उन्नत बायो–मास चूल्हे के क्रय का कोई प्रस्ताव नहीं था बल्कि अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण हेतु 122 एवं 1070 (500+570) हेक्टेयर का अनुमोदन संबंधित वन विकास अभिकरणों को दिया गया था। अतः यह एक गलत कथन था कि वर्ष 2010–11 में किसी नए क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं करना है। स्पष्टः गलत कथन के आधार पर ₹ 83.97 लाख का दुरूपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) बायों मास चूल्हे कि स्थापना प्रवेश बिंदु कार्य के अंतर्गत ईपीए एवं उपरिव्यय के अव्ययित शेष से किया गया थां तथापि उपरोक्त प्रकरण में विभागीय जांच भी जारी है जिसके

---

5 बलौदा बाजार –₹ 9.00 लाख; बस्तर –₹ 19.73 लाख; धमतरी –₹ 25.27 लाख; कटधोरा – ₹ 8.39 लाख; कोंडागाँव (दक्षिण) –₹ 8.07 लाख एवं कोरबा –₹ 13.52 लाख

समापन पर लेखापरीक्षा को भी जांच प्रतिवेदन से अवगत कराया जावेगा। उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि सदस्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया था, रा.व.वि.अ. ने गलत कथन किया कि कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं है इसलिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को छोड़कर अन्य मदों में उपलब्ध राशि का उपयोग उन्नत बायो मास चूल्हे के स्थापना में किया जा सकता थां साथ ही यह भी गलत कथन था कि निर्णय रा.व.वि.अ. द्वारा लिया गया है क्योंकि 2010–11 से 2014–15 में मध्य रा.व.वि.अ. की सामान्य/कार्यकारी सभा कि कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी।

3-3-8-2 dk-ok-;k- esa izLrkfor ugha fd, x, dk;ksZa ds fy, fuf/k dk 0;iorZu vkSj xSj&ljdkjh laLFkkvksa ¼,u-th-vks-½ dk vfu;fer Hkqxrku

dSVy dSai tks fd dk-ok-;k- esa izLrkfor ugha Fkk ds dk;Z ds fy, ,d ,u-th-vks- ,oa la;qDr ou izca/ku lfefr dks Hkqxrku fd;k x;kA vkxs] o-fo-v- ds ikl dk;Z ds lEiknu] vuqJo.k ,oa ewY;kadu ls lacaf/kr dksbZ lk{; ugha Fkk ftlls fd, x, Hkqxrku fd iqf"V dh tk ldsA

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, व.वि.अ. धमतरी ने एक एन.जी.ओ हरीतिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति (ह.प.सं.से.स.) के साथ एक वर्ष के लिए छः गाँव के 540 परिवारों हेतु सुरक्षित टिकाऊ आजीविका के अवसरों के विकास एवं प्रभावी संबंधो का निर्माण के लिए मई 2011 में एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किये। व.वि.अ. द्वारा स्वीकृति आदेशों में कार्य का नाम dSVy dSai[6] दिया गया। कार्य से संबंधित रोकड़ बही एवं नस्तियों कि जांच में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

- ऐसा कोई कार्य व.वि.अ. ने रा.व.वि.अ. को प्रस्तुत एवं रा.व.पा.वि.बो. से स्वीकृत का.वा.यो. में प्रस्तावित नहीं किया था। साथ ही निधि के व्यपवर्तन हेतु रा.व.पा. वि.बो. से स्वीकृती लेने का भी कोई अभिलेख नहीं पाया गया।
- परियोजना कि कुल लागत ₹ 66.69 लाख थी जिसमें से ₹ 6.67 लाख का भुगतान ह.प.सं.से.स. को एम.ओ.यू की शर्तो के अनुसार कार्यारम्भ निधि के रूप में जून 2011 में कर दी गयी। कार्यारम्भ निधि प्राप्त होने के बाद ह.प.सं.से.स. द्वारा मासिक प्रतिवेदन एवं बिल/प्रमाणक संबंधित परिक्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करना था, जिसे कार्यो का निरीक्षण कर सभी दस्तावेज संबंधित उप वनमंडलाधिकारी (उ.व.म.अ.) को प्रस्तुत करवाये। संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा कार्यो का भौतिक निरीक्षण कर कार्य कि मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में वनमंडलाधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था जिसके उपरांत वनमंडलाधिकारी अगले किश्त कि राशि जारी करने के बारे में निर्णय करता। जबकि, हमने अभिलेखों में ऐसा कोई दस्तावेज या प्राधिकारियों के भौतिक निरीक्षण/प्रमाणपत्र नहीं पाये। शेष रकम ₹ 60.05 लाख जुलाई 2011 में संयुक्त वन प्रबंधन समिति, बूढ़ाराव के खाते में हस्तांतरित कर दी गयी इस तथ्य के वाबजूद कि उपरोक्त समिति एम.ओ.यू. के अनुसार परियोजना कि लाभार्थी भी नहीं थी। लेखापरीक्षा के दौरान कई स्मरण पत्र देने के वाबजूद बूढ़ाराव समिति ने उपरोक्त भुगतान एवं निधि के उपयोग के बाबत लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।
- मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन जैसा कि एम.ओ.यू. में उल्लेखित था, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों/कर्मचारियों को एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों कि

[6] ह.प.सं.से.स. द्वारा निष्पादित कार्य का कैटल कैम्प कार्य से कोई संबंध नही था।

जानकारी, निर्मित परिसंपत्तियों एवं संपादित कार्यों के छायाचित्र भी व.वि.अ. के अभिलेखों में नहीं पाये गए।

व.वि.अ. द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्य के अंतर्गत बिना संस्वीकृति के उपरोक्त कार्य का अनुमोदन तथा बूढ़ाराव समिति एवं ह.प.सं.से.स. को ₹ 66.72 लाख का भुगतान 40 दिन के समय अवधि के भीतर वैसे कार्य जिसका सम्पादन एक साल में किया जाना है, के लिए किया गया। प्रगति प्रतिवेदन, देयक, प्रमाणक और अन्य अभिलेख जैसा कि एम.ओ. यू में उल्लेखित था नहीं पाये गए। संयुक्त वन प्रबंधन समिति बूढ़ाराव ने लेखा एवं अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये। व.वि.अ. द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न हीं रा.व.वि.अ. द्वारा आज दिनांक तक कार्य का कोई मूल्यांकन या अनुश्रवण किया गया। अतः कैटल कैंप के नाम पर एक एन.जी.ओ के माध्यम से ₹ 66.72 लाख का व्यय अत्यधिक अनियमित है एवं निधि के दुरूपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया की संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण हेतु लेख किया गया है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3-3-8-3 ifj{k=kf/kdkfj;k dk vfu;fer vfxze fn;k tkuk

> ; |fi jk"Vh; ouhdj.k dk;Øe dh lajpuk e ifj{k=kf/kdkfj;k fd dkbZ Hkfedk ugh g] 'kklh; [kpk d fy, mUg ou vfxze inku fd;k x;kA vkx] bl lc/k e ifj{k=kf/kdkfj;k }kjk dkbZ y[kk Hkh iLrr ugh fd;k x;kA

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका के अनुसार, सं.व.प्र. समितियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए व.वि.अ. को निधियों का हस्तांतरण करना था और परिक्षेत्राधिकारियों को खर्चें कि प्रतिपूर्ति के लिए वन अग्रिम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

चयनित व.वि.अ. के रोकड़ बहियों के जांच के दौरान हमने पाया गया कि तीन व.वि.अ.[7] द्वारा 2010–11 से 2012–13 के मध्य ₹ 74.24 लाख वन अग्रिम के रूप में परिक्षेत्राधिकारियों को प्रदान किए गए। जबकि, न तो संस्वीकृति आदेशों में किए जाने वाले कार्यों का कोई विवरण दिया गया न ही परिक्षेत्राधिकारियों द्वारा इन अग्रिमों के लिए कोई लेखा प्रस्तुत किया गया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण हेतु लेख किया गया है, उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

---

[7] बलौदा बाजार –₹ 31.35 लाख, बस्तर –₹ 29.93 लाख एवं धमतरी –₹ 12.96 लाख

3-3-8-4 HkaMkj Ø; fu;e ,oa ekxZnf'kZdk ds mica/kksa ds vuq:i lkexzh dk Ø; ugha fd;k tkuk

ekxZnf'kZdk ds izko/kkuksa dk mYya?ku djrs gq;s] vkoajgsM en ls oueaMy ,oa mPp dk;kZy;ksa ds fy, [kjhnh dh x;hA tcfd [kjhnh ds le; u rks HkaMkj Ø; fu;e dk ikyu fd;k x;k u gh Ø; dh x;h lkefxz;ksa dk HkaMkj ys[kk j[kk x;kA

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कि मार्गदर्शिका के अनुसार, ओवरहेड के अंतर्गत लेखा/स्थापना/वाहन के लिए किराए पर लिए गए कर्मचारी पर व्यय किया जा सकता था। आगे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार क्रय निविदा/दर सूची के माध्यम से करते हुए भंडार/लेखा संधारित किया जाना था।

12 में से छः व.वि.अ. के भुगतान प्रमाणकों के नमूना जांच के दौरान हमने पाया गया कि ₹ 52.40 लाख मूल्य के विभिन्न सामग्रियों जैसे कि कम्प्युटर, फर्निचर, सीसीटीवी कैमरा, एसी, सोलर लालटेन इत्यादि का क्रय 2010–11 से 2014–15 के मध्य व.वि.अ. /सं.व.प्र. समिति द्वारा ओवरहेड मद कि राशि से वनमंडल अथवा वृत्त कार्यालय में उपयोग हेतु किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3-3** में दर्शाया गया है। मार्गदर्शिका ओवरहेड मद से क्रय प्रावधानित नहीं करती है। जबकि, वनमंडल एवं उच्च कार्यालयों के लिए सामग्री क्रय करने पर राशि व्यय की गयी। आगे, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के नियम 3 एवं 4 के अनुरूप निविदा या दर सूची भी अभिलेखों में नहीं पायी गयी। रा.व.का. के अंतर्गत क्रय की गयी सामग्रियों का व.वि.अ. या सं.व.प्र. समितियों में भंडार लेखा भी संधारित किया जाना नहीं पाया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए लेख किया गया है, उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3-3-8-5 ekuns; dk vfu;fer Hkqxrku

'kkldh; deZpkfj;ksa dks jk-o-dk- dk dk;Z djus ds fy, vfu;fer :i ls ekfld vk/kkj ij ekuns; dk Hkqxrku fd;k x;kA oÙk dk;kZy; esa layXu lokfuoÙk 'kkldh; deZpkjh dks vfu;fer :i ls Hkqxrku fd;k x;kA

रा.व.का. की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका रा.व.वि.अ., व.वि.अ. एवं सं.व.प्र. समितियों के लिए नए पद बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। जबकि, किराए पर रखे गए, संविदात्मक एवं बाहरी स्रोत से लिए गए व्यक्तियों के लिए ओवरहेड मद से व्यय किया जा सकता था। आगे, मूल नियम 9 और 47 सहायक नियम 6 के साथ पढ़े जाने पर, मानदेय शासकीय कर्मचारियों को संघ या राज्य कि समेकित निधि से परिश्रमिक के रूप में विशेष कार्य के लिए कभी–कभी दिया जाने वाला एक अनावर्ती भुगतान है। यह आगे स्पष्ट करता है कि शासकीय कर्मचारियों के सरकारी/आधिकारिक कर्त्तव्य कितने भी विशिष्ट क्यों न हो, उसके द्वारा किए जाने वाले सरकारी कर्त्तव्यों के लिए मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए।

व.वि.अ. के आबंटन, नस्तियों एवं भुगतान प्रमाणकों के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि निम्नानुसार मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया:

- 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान व.वि.अ. धमतरी ने शासकीय कर्मचारियों को वनमंडल के नियमित कार्यो को सम्पन्न करने के लिए मानदेय के रूप में ₹ 8.82 लाख का भुगतान मासिक आधार पर किया। आगे, वृत्त

कार्यालय में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को भी मानदेय का भुगतान किया गया जिनका रा.व.का. के अंतर्गत कोई भूमिका निर्धारित नहीं है क्योंकि सभी अभिलेखों का संधारण व.वि.अ. में होता है। अतः विभाग के नियमित शासकीय कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले नियमित कार्यों के लिए ₹ 8.82 लाख के मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया।

- व.वि.अ. बस्तर में, हमने पाया कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को वृत्त कार्यालय में व.वि.अ. के अभिलेखों के संधारण के लिए किराए पर रखा गया और सितम्बर 2012 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान मानदेय के रूप में ₹ 1.44 लाख का भुगतान किया गया। जबकि, रा.व.का. से संबंधित अभिलेखों का संधारण व.वि.अ. स्तर पर वनमंडल कार्यालय में होता है और वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में रा.व.का. के अभिलेखों का संधारण ही नहीं होता है। अतः वृत्त कार्यालय जहाँ रा.व.का. के अभिलेखों का संधारण नहीं होता है, में किराए पर लिए गए कर्मचारी के लिए मानदेय के रूप में ₹ 1.44 लाख का भुगतान अनियमित था।

इस प्रकार से, मानदेय के रूप में ₹ 10.26 लाख का व्यय किया जाना रा.व.का. के मार्गदर्शिका के विपरीत एवं वसूलनीय है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए पत्र जारी किया जा चुका है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

'kklu ;g lqfuf'pr djs fd 0;; djrs le; o-fo-v-@l-o-i- lfefr;k vko';d fer0;f;rk] dk;Øe dh ekxZnf'kZdk ds izko/kkuksa rFkk izHkko'khy 'kkldh; fu;eksa@izko/kkuksa dk vko';d :i ls ikyu djsA

3-3-9 o{kkjksi.k ds fy, vuqi;qDr {ks=ksa dk p;u

रा.व.का. की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्र.पु.), कृत्रिम पुनरोत्पादन(कृ.पु.), बांस रोपण (बां.रो.), मिश्रित वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य के द्वारा बिगड़े वनों के उपचार का प्रावधान करती है। वन के घनत्व एवं प्रकार के अनुरूप, वनमंडल की कार्य आयोजना वनों को अलग–अलग कार्य कूपों में वर्गीकृत करती है एवं प्रत्येक कार्य कूपों के लिए उपचार का प्रावधान करती है। आगे, प्र.मु.व.सं. ने जुलाई 2013 में निर्देशित किया कि एक ही क्षेत्र का उपचार एक ही समय में दो अलग–अलग मदों से किया जाना अनियमित है। उपचार परियोजनाओं को प्र.मु.व.सं. को अग्रेषित करने से पूर्व, वनमंडलाधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि बिगड़े वन का वृक्षारोपण या पुनर्वास पिछले पाँच वर्षों में नहीं किया गया है और किसी अन्य मद से उस क्षेत्र में रखा–रखाव या सुरक्षा का कार्य जारी नहीं है।

व.वि.अ. के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि ऊपर वर्णित प्रावधानों के विपरीत उपचार के लिए क्षेत्रों का चयन किया गया जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित है।

3-3-9-1 dk;Z vk;kstuk ds izko/kkuksa ds foijhr o{kkjksi.k ds fy, {ks=ksa dk p;u

dk;Z vk;kstuk ds izko/kkuksa ds foijhr o{kkjksi.k ds fy, {ks=ksa dk p;u fd;k x;k ftlds ifj.kkeLo:i euUnzx<+ esa iks/kksa esa ux.; o`f) gqbZ tcfd lwjtiqj esa ckal jksi.k ds lHkh ikS/ks e`r gks x,A

- व.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ एवं सूरजपुर में, 200 एवं 50 हेक्टेयर क्षेत्र में क्रमशः कृत्रिम रोपण एवं बांस रोपण किया जाकर राशि ₹ 91.74 लाख[8] का व्यय किया गया। ये दोनों कक्ष सुधार कार्यवृत्त से सम्बद्ध थे। भौतिक सत्यापन के दौरान, ये वृक्षारोपण क्षेत्र घने वन से आच्छादित पाये गए जिसमें प्रचुर पुनरोत्पादन विद्यमान था। व.वि.अ. ने इन घने वन क्षेत्रों में 'गैप रोपण' किया था। परिणामस्वरूप, व.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ में पौधों में नगण्य/असंतोषजनक वृद्धि हुई। व.वि.अ. सूरजपुर में बांस रोपण सफल नहीं रहा एवं सभी पौधे मृत हो गए। इन क्षेत्रों में रोपण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी केवल सुरक्षा कार्य वनों के पुनरोत्पादन के लिए पर्याप्त होता।

¼lwjtiqj esa ipj iqujksRiknu LFky esa ckal jksi.k ,oa e`r ckal ds ikS/ks½

- आगे व.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ में कक्ष क्रमांक 902 में 2011–12 एवं 2014–15 के मध्य 50 हेक्टेयर में कृत्रिम पुनरोत्पादन का कार्य करते हुए 55,000 पौधों का रोपण किया गया और राशि ₹ 13.73 लाख का व्यय किया गया। आगे जाँच से पता चला कि उपचार के लिए चयनित क्षेत्र प्रवरण सह सुधार कार्य वृत्त में स्थित है एवं घनत्व 0.5 से अधिक है। प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त के उपचार विधि के अनुसार, ''वृक्षारापेण का कार्य 0.2 से कम घनत्व वाले 5 हेक्टेयर से अधिक उपलब्ध रिक्त स्थल के लिए ही लिया जाना था'' का उपरोक्त रोपण में ध्यान नहीं रखा गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ में भौतिक सत्यापन करवाया जाकर प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

---

[8]

o-fo-v- dk uke	jdck ¼gDV;j esa½	d{k Ø-	0;; jkf'k¼₹ yk[k esa½	dk;Z dh vof/k
मनेन्द्रगढ़	200	684, 753, 769, 770	84.38	2011–12 से 2015–16
सूरजपुर	50	1820	7.36	2012–13 से 2014–15
;ksx	250		91-74	

3-3-9-2 vU; ctV 'kh"kk ls mipkjk/khu {k=k e iu% jki.k dk;Z fd;k tkuk

> vU; ctV 'kh"kk d vrxr mipkj fd, tk jg {k=k e jk-o-dk- d vrxr iu% o{kkjki.k fd;k x;k tk fd foHkkx d tykb 2013 d ifji=}kjk fuf"k) fd;k tk pdk FkkA

- व.वि.अ. धमतरी के कक्ष क्रमांक 468 में 120 हेक्टेयर में कृत्रिम पुनर्वास का कार्य 2011–12 से 2014–15 के दौरान कराया गया एवं 1,32,000 पौधों के रोपण पर राशि ₹ 38.40 लाख का व्यय किया गया। आगे जांच से पता चला कि उपचार के लिए चयनित क्षेत्र प्रवरण सह सुधार प्रबंध वृत्त के अंतर्गत है जिसका घनत्व 0.5 या अधिक है। कक्ष के पूरे क्षेत्र का उपचार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रबंधन एवं योजना अभिकरण (कैम्पा) मद साथ ही साथ राज्य बजट से किया जा रहा था। विभागीय निर्देश जुलाई 2013 के अनुरूप वनमंडलाधिकारी का कोई प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया जिसमें यह वर्णित हो कि बिगड़े वन में पुनर्वास या वृक्षारोपण का कोई कार्य विगत पाँच वर्ष में नहीं किया गया है और उसी क्षेत्र में सुरक्षा या रखा–रखाव का कार्य अन्य बजट मदों से नहीं चल रहा है।
- व.वि.अ. कोंडागाँव (दक्षिण) में, कक्ष क्रमांक 723 एवं 722 के 20 एवं 05 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार क्रमशः चारागाह विकास एवं कृत्रिम पुनरोत्पादन के रूप में करते हुए राशि ₹ 6.47 लाख[9] का व्यय 2012–13 से 2014–15 के दौरान किया गया जबकि 2013–14 एवं 2014–15 में कक्ष के पूरे क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य जारी था। आगे, अभिलेखों में विभागीय निर्देशों के अनुरूप कोई प्रमाणपत्र/औचित्यता नहीं पाया गया। साथ ही चारागाह विकास के लिए चिन्हांकित क्षेत्रों का काई वानिकी कार्यों के अंतर्गत उपचार नहीं किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ में भौतिक सत्यापन करवाया जाकर प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

'kklu ;g lqfuf'pr djs fd oueMy dh dk;Z vk;kstuk d iko/kkuk d vuq:i d\oy mi;qDr {k=k e gh o{kkjki.k fd;k tk;A 'kklu ;g Hkh fopkj djs fd pkjkxkg fodkl d fy, p;fur {k=k e vkx dkb okfudh dk;Z ugh gkA

3-3-10 dk;k dk v/kjk fØ;kUo;u

रा.व.का. के मार्गदर्शिका के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए पाँच वर्षों की परियोजना बनाई जाएगी जिसमें प्रथम वर्ष में अग्रिम कार्य जैसे की क्षेत्र तैयारी, द्वितीय वर्ष में रोपण कार्य, तृतीय वर्ष में मृत पौधों का प्रतिस्थापन, रख–रखाव एवं चौथे और पांचवे वर्ष में सुरक्षा तथा रख–रखाव का कार्य कराया जाना था। एक बार अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान हो जाने के बाद द्वितीय वर्ष में रोपण एवं अगले तीन वर्षों तक कराये जाने वाले सुरक्षा एवं रख–रखाव कार्यों के लिए रा.व.पा.वि.बो. द्वारा आगामी वर्षों में आबंटन दिया जाता है।

अभिलेखों कि नमूना जांच में हमने पाया की तीन व.वि.अ. में वानिकी कार्यों का अधुरा क्रियान्वयन किया गया जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है:

---

9 ₹ 4.67 लाख + ₹1.8 लाख

3-3-10-1 o{kkjki.k grq v/kjk ifj;ktuk ifronu cukdj fØ;kUo;u

jk-o-dk- fd ekxZnf'kZdk d iko/kkuk d foijhr] ikp lky d fy, ifj;ktuk r;kj ugh fd;k x;kA vi.kZ ifj;ktuk ifronu d dkj.k dk;Z dk fØ;kUo;u v/kjk jgkA

व.वि.अ., जशपुर में हमने पाया कि, वर्ष 2013–14 में 16 सं.व.प्र. समितियों में 650 हेक्टेयर में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन के अंतर्गत अग्रिम कार्य और रोपण के लिए राशि ₹ 1.22 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ। तदानुसार राशि ₹ 1.22 करोड का व्यय किया गया। आगे हमने पाया कि केवल अग्रिम कार्य एवं रोपण का परियोजना प्रतिवेदन बनाया गया। तृतीय वर्ष में मृत पौधे का प्रतिस्थापन साथ ही साथ तृतीय से पांचवे साल के लिए सुरक्षा, रख–रखाव एवं देखभाल के लिए परियोजना तैयार नहीं की गयी थी। हमने यह भी पाया कि वर्ष 2015–16 में रा.व.पा.वि.बो. ने ₹ 26.38 लाख का आबंटन उपरोक्त रोपण के सुरक्षा एवं रख–रखाव के लिए प्रदान की। तथापि, परियोजना प्रतिवेदन में आगामी वर्षों में सुरक्षा एवं रख–रखाव कार्य शामिल नहीं होने के कारण सं.व.प्र. समितियों द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। आगे, रा.व.का. के मानदंडो के अनुरूप तीसरे से पांचवे साल तक सुरक्षा एवं रख–रखाव कार्य के अभाव में पौधे के मृत हो जाने का खतरा उत्पन्न हुआ। अतः उपरोक्त रोपण कार्य पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध होता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया (अक्टूबर 2016) कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को अधूरा परियोजना प्रतिवेदन बनाने तथा राशि व्यय नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3-3-10-2 df=e iujkRiknu dk;Z dk lj{kk ,o j[k&j[kko ugh fd;k x;k

;|fi vfxze dk;Z] jki.k vkj rhljs lky e lj{kk dk dk;Z fd;k x;k ijUrq pkFks ,o ikpo o"kZ dk lj{kk ,o j[k&j[kko dk dk;Z ugh fd;k x;kA ifj.kkeLo:i jki.k dk;Z dk v/kjk fØ;kUo;u gqvkA

व.वि.अ., बस्तर में हमने पाया कि, तीन सं.व.प्र.[10] समितियों द्वारा कृत्रिम पुनरोत्पादन का कार्य वर्ष 2012–13 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में कराया गया। प्रथम तीन वर्षों कि गतिविधिया जैसे कि अग्रिम कार्य, रोपण, मृत पौधो का प्रतिस्थापन, सुरक्षा एवं रख–रखाव इत्यादि कार्य 2011–12 से 2013–14 तक कराया जाकर ₹ 33.98 लाख का व्यय किया गया। आगे यह पाया गया कि यद्यपि चौथे एवं पांचवे वर्ष की सुरक्षा एवं रख–रखाव कार्य हेतु सं.व.प्र. समितियों को 2014 में आबंटन प्रदान किया गया था लेकिन सुरक्षा एवं रख–रखाव का कार्य आगामी वर्षों में नहीं कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप सं.व.प्र. समितियों को प्राप्त निधि बिना उपयोग के अनुपयोगी पड़ी रही। आगे, रा.व.का. के मानदंडों के अनुरूप चौथे एवं पांचवे साल में सुरक्षा एवं रख–रखाव कार्य के अभाव में पौधे के मृत हो जाने का खतरा उत्पन्न हुआ अतः उपरोक्त रोपण कार्य पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध होता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया (अक्टूबर 2016) कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को सुरक्षा एवं रख–रखाव कार्य समय पर नहीं किये जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

---

[10] राजनगर, झीटकुगुड़ा एवं पहुरबेल

'kklu dk ;ktuk d vrxr g, o{kkjki.kk ,o mipkj dk;k dk mfpr n[kHkky lfuf'pr djuk pkfg,A

3-3-11 fu"d"k

यद्यपि सं.व.प्र. समितियों के सूक्ष्म योजना के लिए निधि का प्रावधान किया गया था, योजना के अंतर्गत सिर्फ नौ प्रतिशत सं.व.प्र. समितियों का ही सूक्ष्म योजना तैयार किया गया।

निधियों का हस्तांतरण रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ., रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. एवं व.वि.अ. से सं.व.प्र. समितियों को अत्यधिक विलंब से किया गया। बिना रा.व.प.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन एवं का.वा.यो. में प्रावधान न होने के बावजूद एक व.वि.अ. से दुसरे व.वि.अ. में निधियों का हस्तांतरण किया गया।

का.वा.यो. में स्वीकृत नहीं किए गए कार्य हेतु एन.जी.ओं को अनियमित रूप से निधि प्रदान की गई। न तो कोई प्रगति प्रतिवेदन/विवरणी प्रस्तुत की गयी न हीं रा.व.वि.अ. /व.वि.अ. द्वारा कार्य के निरीक्षण/अनुश्रवण का संज्ञान लिया गया।

गलत कथन के आधार पर अन्य कार्यों हेतु प्राप्त निधि से सं.व.प्र. समितियों में उन्नत बायो मास चूल्हे की स्थापना की गयी।

अनुपयुक्त क्षेत्रो/पूर्व में उपचार किए जा रहे क्षेत्रों का चयन वृक्षारोपण हेतु किया गया। अधूरा परियोजना प्रतिवेदन/सुरक्षा एवं रख–रखाव का काम नहीं किए जाने के कारण कार्यों का अधूरा निष्पादन हुआ।

अतः अयोग्य वित्तीय प्रबंधन के कारण अंतिम उपयोगकर्त्ता (सं.व.प्र. समितियों) को देर से निधियों की प्राप्ति हुई और निर्धारित उद्देश्यों से निधियों का व्यपवर्तन हुआ। विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए कार्य आयोजना में उल्लेखित प्रावधानों एवं निर्देशों के परिपालन का अभाव था।

3-3-12 vu'kalk,

शासन को सभी सं.व.प्र. समितियों की सूक्ष्म योजना शीघ्रता से सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे रा.व.का. की क्रियाविधियाँ योजनाबद्ध तरीके से सम्माहित हों।

शासन को मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार समय से निधियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना, बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमति के निधियों के अंतर व.वि.अ. हस्तांतरण को रोकना और सं.व.प्र. समितियों में निधियों की अनुचित अवरूद्धता को रोकना चाहिए।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व.वि.अ./सं.व.प्र. समितियाँ मितव्ययिता का पालन करे एवं व्यय करने के दौरान योजना कि मार्गदर्शिका में उल्लेखित नियमों/प्रावधानों का परिपालन करें।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनमंडल की कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप केवल योग्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाये।

शासन को योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण/उपचार का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

vU; y[kkijh{kk i;{k.kk

3-4 o{kkjki.k ij ifjgk;l O;;

/kerjh ,o dk.Mkxko ¼nf{k.k½ oue.Myk e foHkkxh; fun'kk d foijhr 175 gDV;j ,l ou {k=k e] tgk ij iow dk;l py jg Fk] ij o{kkjki.k dk dk;l dj ₹ 1-08 djkM dk O;; fd;k x;kA

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.), छत्तीसगढ़ ने क्षेत्रिय कार्यालयों को निर्देशित (जुलाई 2013) किया की वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्र.मु.व.सं. को भेजने से पूर्व वन संरक्षक, वनमण्ड़लाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि ''प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में गत पाँच वर्ष में कोई रोपण कार्य अथवा बिगड़े वनों का सुधार कार्य नहीं किया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में रखरखाव/सुरक्षा का कार्य भी किसी अन्य मद से वर्तमान में नहीं चल रहा है''। वनमण्ड़लाधिकारी भी प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व प्रस्ताव का समुचित परीक्षण करेंगे। एक ही क्षेत्र में दो विभिन्न मदों से कार्य कराना अनियमित है एवं विभाग की छवि भी धूमिल होती है।

वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.), धमतरी के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वृक्षारोपण प्रतिवेदन के नमूना जाँच (जनवरी 2016) में हमने देखा की वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कक्ष क्रमांक 443 एवं 111 में क्रमशः 100 हेक्टेयर एवं 50 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य करते हुए क्रमशः राशि ₹ 59.03 लाख एवं ₹ 32.80 लाख का व्यय किया गया। वनमंडल के कार्य आयोजना एवं पूर्व वर्षों के प्रगती प्रतिवेदन के जाँच में हमने देखा की इन कक्षों (443 एवं 111) एवं वर्ष 2010–11 एवं 2014–15 के मध्य किये गये कार्यों की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk 3-5% iow dk;k dk fooj.k

d{k Ø-	d{k dk jdck	dk;l dk uke	dk;l dh vof/k	dk;l dk dqy jdck ¼gDV;j e½
111	318.33	विभागीय	2010–11 से 2014–15	165.00
		राज्य कैम्पा	2010–11 से 2014–15	100.00
		राज्य कैम्पा	2010–11 से 2014–15	40.00
443	145.564	बिगड़े वनों का पुरोद्धार (वृक्षारोपण रहीत)	2010–11 से 2014–15	145.564
;kx	463-894			450-564

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दोनों कक्षों के कुल 463.894 हेक्टेयर में से वनमण्डल द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2014–15 के मध्य 450.564 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार कर लीया गया था। अतः वर्ष 2014–15 में कक्ष क्रमांक 111 में मात्र 13.33 हेक्टेयर क्षेत्र ही अनुपचारित थे। व.म.अ., धमतरी द्वारा इस तथ्य को सुनिश्चित किये बिना कक्ष क्रमांक 443 एवं 111 में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 100 हेक्टेयर एवं 50 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य करते हुए राशि ₹ 91.83 लाख का व्यय किया (मार्च 2016)। यह प्र.मु.व.सं. के निर्देशों की अवहेलना थी क्योंकि वर्ष 2014–15 एंव 2015–16 में 136.67 हेक्टेयर क्षेत्र बिना अनुपचारित क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद वृक्षारोपण कार्य कर उपचारित किया गया। आगे हमने यह देखा की व.म.अ., धमतरी का प्र.मु.व.सं. द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवदेन में उपलब्ध नहीं थे। अतः व.म.अ. द्वारा पूर्व कार्यों की स्थिति को सुनिश्चित किये बगैर

प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित करते हुए उपचारित क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कराया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 83.09 लाख[11] का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित (जनवरी 2016) किये जाने पर व.म.अ., धमतरी ने अपने उत्तर में कहा कि कक्ष क्रमांक 111 में वर्ष 2011–12 में जो कैम्पा मद के अंतर्गत 140 हेक्टेयर का वृक्षारोपण का कार्य किया गया था, वह वास्तविक में 90 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था। अतः 50 हेक्टेयर[12] से भी अधिक क्षेत्र उपचार हेतु उपलब्ध थे। तदनुसार 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। कक्ष क्रमांक 443 के संबध में व.म.अ. ने उत्तर दिया की वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 के मध्य सुरक्षा एवं रखरखाव का कार्य किया गया था। वर्ष 2010–11 में वृक्षारोपण रहीत पुरोद्धार कार्य पर आशातीत परीणाम न मिलने के कारण वर्ष 2012–13 में कक्ष का पुनरीक्षित मानचित्र तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य लिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य कैम्पा द्वारा धमतरी वनमण्डल के परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 100 हेक्टेयर हेतु राशि स्वीकृत की गई थी, परंतु वनमण्डल द्वारा 50 हेक्टेयर में उपचार कर 100 हेक्टेयर अनुसार से राशि व्यय किया गया। कक्ष क्रमांक 443 में व. म.अ. द्वारा स्वीकारा है कि वृक्षारोपण का कार्य साथ–साथ किया गया जब पूर्व कार्य जारी थे। परियोजना प्रतिवेदन में पूर्व कार्य का विफल होने का कोई वर्णन नहीं किया गया था।

- कार्यालय व.म.अ., कोण्डागांव (दक्षिण) के वर्ष 2013–14 के वृक्षारोपण प्रतिवेदन की नमूना जाँच (जनवरी 2016) में हमने देखा की वर्ष 2013–14 में कक्ष क्र. 723 में ₹ 24.68 लाख व्यय कर 25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। कार्य आयोजना, कक्ष इतिहास एवं अन्य अभिलेखों के अग्रेतर जाँच में हमने देखा कि कक्ष क्रमांक 723 का कुल रकबा 191.150 हेक्टेयर है एवं वर्ष 2007–08 एवं 2013–14 के मध्य बिगड़े वनों का पुनरोद्धार (वृक्षारोपण रहीत) का कार्य समस्त 191.150 हेक्टेयर में किया गया। चूंकि वर्ष 2013–14 में कक्ष के संपूर्ण क्षेत्र मे उपचार कार्य जारी थे, अतः कक्ष में पुनः उपचार हेतु कोई रिक्त स्थल उपलब्ध नहीं थे। परंतु व.म.अ. द्वारा पूर्व कार्यों को कक्ष इतिहास से सुनिश्चित न कर परियोजना प्रतिवदेन तैयार कर वर्ष 2014–15 में 25 हेक्टेयर में 62,500 सागौन के पौधों का रोपण किया। लेखापरीक्षा ने परियोजना प्रतिवेदन में न ही कोई प्रमाण पत्र में इस आशय क उल्लेख की विगत पाँच वर्षों में कोई वृक्षारोपण का कार्य या बिगड़े वनों के सुधार कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई अभिलेख की पूर्व किये गये कार्य असफल थे का उल्लेख नहीं था। अतः पूर्व के कार्य जारी रहने के बावजूद वृक्षारोपण का कार्य करने से राशि ₹ 24.68 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

हमारे द्वारा इंगित (जनवरी 2016) किये जाने पर व.म.अ. ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि वर्ष 2007–08 एंव 2013–14 के मध्य कक्ष 723 के संपूर्ण क्षेत्र में बिगड़े वनों का पुनरोद्धार (वृक्षारोपण रहीत) का कार्य किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्र का घनत्व 0.2 एवं 0.5 के मध्य था। तदनुसार वर्ष 2013–14 में क्षेत्र तैयारी का कार्य कर वर्ष 2014–15 में 25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कक्ष क्रमांक 723 में व.म.अ. ने स्वीकार किया है कि पूर्व कार्य जारी रहने के बावजूद वृक्षारोपण का कार्य किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में किये गये पूर्व कार्य का असफलता का कोई उल्लेख नहीं था।

---

[11] कक्ष क्र. 111 { ₹ 32.80 लाख * (50.00 हे.–13.33 हे.) / 50 हे.}= ₹ 24.06 लाख एवं कक्ष क्र. 443 { ₹ 59.03 लाख * (100.00 हे.–0 हे.) / 100 हे.}= ₹ 59.03 लाख

[12] 318.33–165–50–40=63.33 हेक्टेयर

अतः व.म.अ. द्वारा प्र.मु.व.सं. के निर्देशों का पालन किये बिना वृक्षारोपण का प्रस्ताव व.सं. को प्रेषित किया जाना एवं व.सं. द्वारा व.म.अ. के निर्धारित प्रमाण पत्र के अभाव में वृक्षारोपण का कार्य स्वीकृत किये जाने से राशि ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

स्थिति शासन/विभाग को उनके अभिमत हेतु प्रतिवेदित (मई 2016) की गई। उनके उत्तर अपेक्षित हैं (नवम्बर 2016)।

3-5 mipkfjr dik esa lgk;d ikdfrd iujkRiknu dk;Z ij vfu;fer O;;

jkT; dEik d vrxr lgk;d ikdfrd iujkRiknu ¼l-ik-iq-½ dk dk;Z uk mipkfjr dik esa fy;s tku ls jkf'k ₹ 56-27 yk[k dk vfu;fer O;; gqvkA

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) ने निर्देशित (नवम्बर 2011) किया कि सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्रा.पु.)[13] का कार्य ऐसे प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त कूपों में लिया जायगा, जिसमें गत वर्ष में विदोहन कार्य किया गया हो। सुधार कार्यवृत्तों के ऐसे कूपों में स.प्रा.पु. का कार्य हेतु चयन नहीं किया जायगा, जहां वन घनत्व 0.5 से कम हो। ऐसे कूपों में वृक्षारोपण का कार्य लीया जायगा।

वनमण्ड़लाधिकारी (व.म.अ.), कवर्धा के वन वर्धनीक कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रमाणकों के नमूना जाँच (मार्च 2015) में हमने देखा की वर्ष 2010–11 के 12 मुख्य विदोहित कूपों में से नौ कूपों के 906.18 हेक्टेयर में विभागीय मद से प्राकृतिक पुनरोत्पादन का कार्य 2011–12 में करते हुए ₹ 9.12 लाख राशि का व्यय किया। आगे राज्य कैम्पा के कार्यों के वार्षिक योजना अनुसार प्रगति प्रतिवेदन के जांच में पाया गया कि वनमण्डल द्वारा वर्ष 2013–14 में कैम्पा मद के अंतर्गत 22 कूपों में स.प्रा.पु. का कार्य किया गया। राज्य कैम्पा के अंतर्गत जिन 22 कूपों में स.प्र.पु. का कार्य किया गया उसमें से नौ कूपों ऐसे थे जहां पर विभागीय मद पर वर्ष 2011–12 के अंतर्गत प्राकुतिक पुनरोत्पादन का कार्य किया गया था। अतः वनमण्डल द्वारा वर्ष 2013–14 में स.प्रा.पु. का कार्य 2010–11 के विदेाहित कूपों में करते हुए राशि ₹ 56.27 लाख का व्यय किया गया। यह प्र.मु.व.सं. के आदेशों की अवहेलना थी कयोंकि स.प्र.पु. का कार्य गत वर्ष के विदोहित काष्ठ कूपों में ही किया जाना था। जबकि वनमण्डल द्वारा स.प्र.पु. का कार्य वर्ष 2013–14 में राज्य कैम्पा मद से किया जहां पर विदोहन का कार्य 2010–11 में एवं प्राकुतिक पुनरोत्पादन का कार्य 2011–12 में विभागीय मद से किया गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित (मार्च 2015) किये जाने पर व.म.अ. द्वारा उत्तर (मार्च 2015) में कहा कि वर्ष 2011–12 में पुनरोत्पादन का कार्य वर्ष 2010–11 के नौ सुधार पातन श्रेणी (सु.पा.श्रे.) कूपों में विभागीय मद से किया गया। चूंकि विभागीय मद से किय गये कार्यों से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तो स्वीकृत नार्मस अनुसार कैम्पा मद से कार्य कराया गया। कार्य उन कूपों में किया गया जहां वन घनत्व 0.5 से कम नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय मद पर किये गये पूर्व कार्य का असफल एवं स्वीकृत नार्मस अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति न होने से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उसी कार्य को राशि ₹ 56.27 लाख का व्यय कैम्पा मद से कर कार्य किया जाना अनियमित था।

---

13 सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन एक वन वर्धनिक कार्य है जो की वृक्षों के विदोहन उपरांत कापिस देने वाले प्रजाति को एकलीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण एवं सुरक्षा कार्य किया जाके पुनरोत्पादन में वृद्धि की जाती है।

प्रकरण शासन/विभाग को उनके अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) कर दिया गया है, उनसे उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

3-6 lheV dkØhV jkM d fuek.k e ifjgk;l 0;;

ouxkeke e lheV dkØhV lMdk d fuek.k e xkeh.k ;kf=dh lok ¼xk- ;k-l-½ foHkkx d funs'kk dk ikyu ugh fd;s tku ls ifjgk;l 0;; ₹ 43-29 yk[kA

विकास आयुक्त (वि.आ.), ग्रामिण यांत्रिकी सेवा (ग्रा.यां.से.) प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़, रायपुर ने निर्देशित (फरवरी 2005) किया था की ग्रामिण क्षेत्रों में सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) सड़कों का निर्माण तीन मीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर गहराई के 1:2:4 [14] अनुपात में निर्माण कराया जायगा।

वनमण्ड़लाधिकारी (व.मं.अ.), धमतरी एवं कटघोरा के वानिकी कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन के नमूना जाँच (जनवरी 2016 एवं मार्च 2016) में हमने देखा कि 11 सी.सी. सड़कों के निर्माण में ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया। तकनिकी स्वीकृति (त.स्वी.), प्रमाणकों एवं अन्य अभिलेखों के अग्रेतर जाँच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 1:2:4 अनुपात के 11 सड़कों का निर्माण निम्न स्पेसीफिकेशन में किया गया:

rkfydk 3-6½ lh-lh-lMdk d fuek.k dk fooj.k

oue.Myk	lMdk dh l[;k	dy yckbl ¼ehVj e½	pkMkbl ¼ehVj e½	xgjkbl ¼ehVj e½	lifnr dk;l dh ek=k ¼?ku ehVj e½	okLrfod lEiknu fd;s tkus okys dk;l dk ek=k ¼?kuehVj e½	nj ¼₹ izfr ?kuehVj e½	0;; ¼₹ yk[k e½	fd;k tkus okyk 0;; ¼₹ yk[k e½
1	2	3	4	5	6¼ ¼3½*¼4½*¼5½	7¼¼3½ *3-00*0-15	8	9	10
व.म.अ., धमतरी	1	230	4.00	0.20	184	103.50	3620.10	6.66	3.75
	3	425.75	4.00	0.22	374.66	191.59	3265.60	12.23	6.26
	5	1000	4.00	0.15	600	450.00	3265.60	19.59	14.70
व.मं.अ., कटघोरा	2	425	4.00	0.30	510	191.25	3190.50	16.27	6.10
;kx	11	2080-75			1668-66	936-34		54-75	30-81

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा चार मीटर चौड़ा एवं 0.15 मीटर से 0.30 मीटर तक के गहराई के 2080.75 मीटर लंबे सड़कों का 1,668.66 घनमीटर का कार्य करते हुए राशि ₹ 54.75 लाख का व्यय किया। परंतु अगर सड़को का निर्माण वि.आ., ग्रा.यां.से. के निर्देशों अनुसार किया जाता तो ₹ 30.81 लाख के व्यय पर सड़को का निर्माण हो जाता। अतः वि.आ., ग्रा.या.से. के निर्देशों अनुसार कार्य न किये जाने से 732.32 घनमीटर का अतिरिक्त कार्य हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹ 23.94 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। आगे धमतरी वनमण्ड़ल के छह सड़कों में 1:2:4 के अनुपात में कार्य करने के बाद 1:3:6 एवं 1:4:8 अनुपात का कार्य क्रमशः एक किलोमीटर एवं 200 मीटर लंबाई का कार्य करते हुए राशि ₹ 19.35 लाख[15] का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में इंगित (जनवरी 2016 एवं मार्च 2016) किये जाने पर व.मं.अ., धमतरी ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि ग्रा.यां.से. प्रकोष्ठ के निर्देशों वनमण्डल

14 सीमेंट, रेती एवं ग्रेडेड पत्थर का अनुपात

15 1000 मीटर * 4 मीटर * 0.20 मीटर= 800 घनमीटर * ₹ 2264.60= ₹ 18,11,680(1:3:6) एवं 200 मीटर * 3 मीटर * 0.10 मीटर= 60 घनमीटर * ₹ 2051.00= ₹ 1,23,060(1:4:8)

कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुए है। सड़को का निर्माण ग्रामीणों की मांग पर एवं स्थल का भौतिक सत्यापन किये जाने के बाद किया गया है। जबकि व.मं.अ., कटघोरा ने अपने उत्तर (मार्च 2016) में कहा कि की सडकें खराब स्थिति में थी। चार मीटर चौड़ी एवं 30 सेंटीमीटर गहराई सड़कों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों के स्खलन से होने वाले क्षति से बचाने हेतु किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य ग्रा.या.से. विभाग के दर अनुसूची के मानकों अनुसार किया जाना चाहिए था। अतः ग्रामिण सड़कों का परियोजना ग्रा.यां.से. के मानकों एवं निर्देशों अनुसार बनाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही अधिक चौड़ाई एवं गहराई एवं दोहरे सी.सी. कार्य हेतु परियोजना में शामिल एवं स्वीकृति हेतु कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। आगे वनमण्ड़ल धमतरी के एक ग्राम में उसी अवधी में सी.सी. सड़क का निर्माण ऊपर वर्णित निर्देशों के अनुरूप किया गया।

अतः वि.आ. द्वारा निर्धारित चौड़ाई एवं गहराई से अधिक चौड़ाई एवं गहराई के सी.सी. सड़कों के निर्माण किये जाने एवं सड़क में अतिरिक्त परत डालने से राशि ₹ 43.29 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन/विभाग को उनके अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) कर दिया गया है, उनसे उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।